R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

खण्ड XI ◆ अंक 12
जून 2015

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

बैंकिंग विनियमन

कार्यनीतिगत कर्ज पुनर्रचना योजना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 08 जून 2015 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री और पुनर्वित्त संस्थाओं (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) को सूचित किया कि 26 फरवरी 2014 को जारी किए गए ''अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों के पुनरुज्जीवन का ढांचा - संयुक्त उधारदाता फोरम (जेएफएफ) और निवारक कार्रवाई योजना (सीएपी) संबंधी दिशानिर्देश'' के अंतर्गत संयुक्त उधारदाता फोरम (जेएलएफ) को खातों की पुनर्रचना के ऐसे मामलों में स्वामित्व में परिवर्तन पर सक्रिय रूप से विचार करना चाहिए जहां उधारकर्ता कंपनियां परिचालनात्मक/ प्रबंधकीय अक्षमताओं के कारण दबाव मुक्त नहीं हो पाती हों, भले ही उनके लिए उधारदाता बैंकों ने कई प्रकार के त्याग किए हों।

इसके अलावा, दबावग्रस्त खातों के पुनरुज्जीवन में प्रवर्तकों की भागीदारी को बढ़ाने तथा ऐसे खातों, जो अनुमानित व्यवहार्यता के मील के पत्थरों को हासिल करने से चूक गए हों, में स्वामित्व में बदलाव करने हेतु क्षमता विकसित करने की दृष्टि से बैंक प्राप्य ऋणों को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने के लिए 'कार्यनीतिगत कर्ज पुनर्रचना (एसडीआर)' अपने विवेकानुसार अपनाएं, जिसकी निम्नलिखत विशेषताएं होंगी :

(i) पुनर्रचना के शुरुआती दौर में जेएलएफ को ऐसे मामले में उधारकर्ता के साथ सहमत पुनर्रचित ऋण/ऋणों से संबंधित शर्तों में इस आशय की शर्त को समशामिल करना चाहिए कि समूचे ऋण (अदत्त ब्याज की राशि सहित), या उसके किसी अंश को उस स्थिति में कंपनी के शेयरों के रूप में अंतरित करना चाहिए, जब उधारकर्ता व्यवहार्यता संबंधी मील के पत्थरों को हासिल नहीं कर पाता हो और/या वह पुनर्रचना पैकेज में बताई गई 'महत्वपूर्ण शर्तों' का पालन नहीं करता हो। उधारकर्ता कंपनी को मौजूदा कानूनों/विनियमों के अंतर्गत की गई अपेक्षानुसार इस संबंध में आवश्यक अनुमोदन/प्राधिकार (शेयरधारकों द्वारा पारित विशेष संकल्प सहित) प्रस्तुत करने चाहिए ताकि उधारदाता उक्त विकल्प का प्रयोग प्रभावी ढंग से कर सकें। एसडीआर से संबंधित उपर्युक्त अनुमोदनों/प्राधिकारों के बिना ऋणों की पुनर्रचना की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि उधारकर्ता व्यवहार्यता के मील के पत्थरों को हासिल नहीं कर पाता हो और/या उपर्युक्त 'महत्वपूर्ण शर्तों' का पालन नहीं करता हो तो जेएलएफ को उस खाते की तुरंत ही समीक्षा कर देनी चाहिए तथा यह जांच कर पता कर लेना चाहिए कि स्वामित्व में बदलाव करने से वह खाता व्यवहार्य होगा या नहीं। यदि खाता व्यवहार्य पाया जाए तो जेएलएफ एसडीआर के प्रयोग के संबंध में निर्णय लेगा, अर्थात् संपूर्ण ऋण या उसके किसी अंश और बकाया ब्याज को उधारकर्ता कंपनी के इक्विटी शेयरों में बदलना ताकि उस कंपनी की बहुलांश शेयरधारिता अर्जित की जा सके;

(ii) एसडीआर के प्रावधान ऐसे सभी खातों के लिए लागू होंगे जिनकी पुनर्रचना इस परिपत्र की तारीख, अर्थात् 08 जून 2015 से पहले हो गई हो। बशर्ते अधिकृत करने वाले आवश्यक खंडों, जैसा कि ऊपर बताए गए हैं, को बैंकों और उधारकर्ता के बीच किए जाने वाले करार में शामिल किया जाए;

(iii) समूचे ऋण या उसके किसी अंश को इक्विटी शेयरों में अंतरित करने की दृष्टि से एसडीआर का प्रयोग करने के संबंध में जेएलएफ को यथाशीघ्र निर्णय ले लेना चाहिए, किंतु खाते की उपर्युक्त समीक्षा की तारीख से 30 दिन के अंदर हो। इस निर्णय को सही ढंग से प्रलेखबद्ध किया जाना चाहिए और इसके लिए अधिकांश जेएलएफ सदस्यों (मूल्य की दृष्टि से न्यूनतम 75 प्रतिशत लेनदार और संख्या की दृष्टि से 60 प्रतिशत लेनदार) का अनुमोदन मिला हो;

(iv) स्वामित्व में परिवर्तन को मूर्त रूप देने के लिए जेएलएफ में शामिल उधारदाताओं को उन्हें उधारकर्ता से प्राप्य राशि को इक्विटी में बदलकर सामूहिक रूप से बहुलांश शेयरधारक बनना चाहिए। तथापि, जेएलएफ उधारदाताओं द्वारा बकाया कर्ज (मूलधन राशि और अदत्त ब्याज) को इक्विटी लिखतों में बदला जाना कंपनी के शेयरों में सदस्य बैंकों की संबंधित कुल धारिताओं के अनुरूप होगा और यह सांविधिक सीमा के अंतर्गत होगा;

(v) अंतरण के बाद जेएलएफ में शामिल सभी उधारदाताओं की हिस्सेदारी कंपनी द्वारा जारी इक्विटी शेयरों में 51 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए;

(vi) कर्ज के इक्विटी के रूप में किए जाने वाले अंतरण के लिए शेयर मूल्य का निर्धारण 08 जून 2015 के इस परिपत्र में बताई गई पद्धति के अनुसार किया जाएगा;

(vii) इसके बाद से बैंकों को ऋण संबंधी सभी करारों में आवश्यक प्रसंविदाएं शामिल करनी चाहिए, जिसके अंतर्गत पुनर्रचना, उधारकर्ता कंपनी से आवश्यक अनुमोदनों/प्राधिकारों (शेयरधारकों द्वारा पारित विशेष संकल्प सहित) का प्रस्तुतीकरण, जैसा कि मौजूदा कानूनों/विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित है, ताकि प्रयोज्य मामलों में एसडीआर का प्रयोग किया जा सके;

(viii) जेएलएफ को एसडीआर के प्रयोग के संबंध में लिए गए निर्णय की तारीख से 90 दिन के अंदर तत्संबंधी अनुमोदन दे देना चाहिए;

(पृष्ठ 2 पर जारी)

विषय सूची पृष्ठ

बैंकिंग विनियमन
- कार्यनीतिगत कर्ज पुनर्रचना योजना 1
- केवाईसी नीति - सरलीकृत उपायों के अंतर्गत आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज 2
- गैर-कार्यपालक निदेशकों के पारितोषिक 2
- पण्य मूल्य जोखिम की हेजिंग - जागरूकता पैदा करना 2
- प्रतिभूतीकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री 2
- दीर्घावधिक बॉण्डों की प्रतिधारिता 2

भारत के बासेल-।।। कार्यान्वयन का मूल्यांकन 3
- डीईएएफ - फॉर्म I और III 3
- ऑनसाइट और ऑफसाइट तथा मोबाइल एटीएमों पर रिपोर्टिंग

दूसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2015-16 3

सरकार का बैंकर
- 6 वर्षीय और 13 वर्षीय ब्याज दर फ्यूचर्स के लिए अंतिम दिशानिर्देश 3
- जीवन प्रमाण-पत्रों के लिए पेंशनभोगियों को पावती-सूचना 4

विदेशी मुद्रा प्रबंध
- निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना - सीमा में वृद्धि और उसे युक्तिसंगत बनाना 4
- गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर अनिवासी भारतीयों द्वारा चिट-फंड अंशदान 4

केवाईसी नीति - सरलीकृत उपायों के अंतर्गत आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज

'कम जोखिम' वाले ऐसे ग्राहकों, जो आधिकारिक रूप से कोई वैध दस्तावेज (ओवीडी) प्रस्तुत नहीं कर पाते हों, के लिए पते के प्रमाण के सीमित प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) नीति को सरल बनाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने 11 जून 2015 को सूचित किया कि निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेजों को 'सरलीकृत उपायों' के अंतर्गत ओवीडी माना जाएगा :

क. किसी सेवा-प्रदाता द्वारा जारी युटिलिटी बिल जो दो माह से पुराना न हो (बिजली, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन, पाइप वाली गैस, पानी का बिल);

ख. संपत्ति या नगरपालिका कर की रसीद;

ग. बैंक खाता या डाकघर बचत बैंक खाता विवरण;

घ. सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी किए गए पेंशन या परिवार पेंशन आदेश (पीपीओ), किंतु उसमें पते का होना ज़रूरी है;

ड. राज्य या केंद्र सरकार के विभागों, सांविधिक या विनियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले नियोक्ता का आवास आबंटन-पत्र। इसी प्रकार, आधिकारिक आवास के आबंटन के संबंध में ऐसे नियोक्ताओं के साथ किए जाने वाले लीव-लाइसेंस के करार; तथा

च. भारत में स्थित विदेशी अधिकार क्षेत्र के सरकारी विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले दस्तावेज तथा विदेशी दूतावास या मिशन द्वारा जारी किए जाने वाले पत्र (डीबीआर. एएमएल.बीसी.सं.104/ 14.01.001/ 2014-15, दिनांक 11 जून 2015)।

कार्यनीतिगत कर्ज पुनर्रचना योजना

(पृष्ठ 1 से जारी....)

(ix) एसडीआर के अंतर्गत दिए गए अनुमोदन के अनुसार कर्ज का इक्विटी में अंतरण जेएलएफ द्वारा एसडीआर पैकेज के अनुमोदन की तारीख से 90 दिन की अवधि के अंदर पूरा किया जाना चाहिए। जिन खातों को जेएलएफ ने पुनर्रचना हेतु सीडीआर कक्ष को भेजा है उनके संबंध में जेएलएफ यह तय करेगा कि एसडीआर सीधा किया जाए या एसडीआर कक्ष के अंतर्गत;

(x) एसडीआर के प्रयोग को आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानकों के प्रयोजनार्थ पुनर्रचना के रूप में माना नहीं जाएगा;

(xi) जहां तक संदर्भ तारीख की स्थिति का प्रश्न है एसडीआर के अंतर्गत दिए गए अनुमोदन के अनुसार कर्ज का इक्विटी में अंतरण पूरा हो जाने के बाद खाते के मौजूदा आस्ति वर्गीकरण संदर्भ तारीख से 18 माह की अवधि के लिए जारी रहेगा। उसके बाद आस्ति वर्गीकरण यह मानकर मौजूदा आईआरएसी मानकों के अनुसार किया जाएगा कि आस्ति वर्गीकरण में उपर्युक्त 'यथावत स्थिति' नहीं दर्शाई गई है, किंतु इसमें बैंक की होल्डिंग का नए प्रवर्तक को निर्निहित किया जाना शामिल नहीं है;

(xii) बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए तथा जेएलएफ को कंपनी के कार्यनिष्पादन की गहनतापूर्वक निगरानी रखनी चाहिए और कंपनी के कार्यों के संचालनार्थ समुचित व्यावसायिक प्रबंध तंत्र की नियुक्ति करने पर विचार करना चाहिए;

(xiii) जेएलएफ और उधारकर्ताओं को कंपनी की इक्विटी में अपनी होल्डिंग को यथाशीघ्र निर्निहित करना चाहिए। बैंक की होल्डिंग को 'नए प्रवर्तक' के पक्ष में निर्निहित करने के बाद उस खाते का आस्ति वर्गीकरण 'मानक, विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन' के रूप में अपग्रेड कर दिया जाए। 'नए प्रवर्तक' को अपनी होल्डिंग को निर्निहित करते समय बैंक कंपनी के परिवर्तित जोखिम प्रोफाइल ध्यान में रखते हुए कंपनी के मौजूदा कर्ज का पुनर्वित्त कर सकते हैं, किंतु इसे 'पुनर्रचना' प्रक्रिया के रूप में न जाना जाए। बशर्ते पुनर्वित्त की वजह से मौजूदा कर्ज के उचित मूल्य में होने वाले ह्रास के लिए बैंक प्रावधान करें।

बैंक एसडीआर के अंतर्गत कर्ज का इक्विटी में अंतरण किए जाने के अलावा पुनर्रचना संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के अंतर्गत ऋण सुविधाओं की पुनर्रचना करते समय अपने कर्ज का इक्विटी में अंतरण कर सकते हैं। तथापि, इसके लिए आस्ति गुणवत्ता संबंधी नियमित डीएसबी विवरणी तथा बैंकों द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरणों में लेखा टिप्पणियों में किए जाने वाले प्रकटीकरण के साथ-साथ प्रत्येक माह भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय को रिपोर्ट भेजना अपेक्षित होगा (डीबीआर.बीपी. बीसी.सं.101/21.04.132/2014-15, दिनांक 08 जून 2015)।

गैर-कार्यपालक निदेशकों का पारितोषिक

रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंकों में व्यावसायिक निदेशकों को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने में समर्थ बनाने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों को गैर-कार्यपालक निदेशकों के पारितोषिक संबंधी दिशानिर्देश जारी किए। इनसे बाज़ार की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा तथा ये बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट पैरामीटरों के अंतर्गत होंगे। मोटे तौर पर इन दिशानिर्देशों में निम्नलिखित मदें शामिल हैं :

- निदेशक मंडल को पारिश्रमिक समिति के साथ परामर्श करके गैर-कार्यपालक निदेशकों (अंशकालिक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष को छोड़कर) के लिए एक व्यापक पारितोषिक नीति बनानी व अपनानी चाहिए।

- बोर्ड गैर-कार्यपालक निदेशकों (अंशकालिक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष को छोड़कर) को लाभ संबद्ध कमीशन के रूप में पारितोषिक के भुगतान के लिए नीति में अपने विवेकानुसार प्रावधान कर सकता है, जो कि बैंक के लाभों के अधीन हो। तथापि, ऐसा पारितोषिक प्रति निदेशक के लिए ₹1 मिलियन से अधिक न हो। बैंक निदेशकों के पारितोषिक के अलावा गैर-कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क अदा कर सकता है और बोर्ड एवं अन्य बैठकों में भाग लेने हेतु खर्च की प्रतिपूर्ति कर सकता है।

- पूर्व की भांति निजी क्षेत्र के बैंकों से अपेक्षित है कि वे अंशकालिक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के लिए पारिश्रमिक देने के संबंध में रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति लें। पारिश्रमिक से संबंधित बैंक की नीतियां पर्यवेक्षी अन्वेक्षण के अधीन होंगी, जिसमें बासेल-।। ढांचे के पिलर 2 के अंतर्गत पर्यवेक्षी समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी) के तहत समीक्षा भी शामिल है। बैंकों से अपेक्षित है कि वे निदेशकों को अदा किए गए पारितोषिक का प्रकटीकरण अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में कम से कम वार्षिक आधार पर करें (डीबीआर. सं.बीसी.97/29.67.001/2014-15, दिनांक 1 जून 2015)।

पण्य मूल्य जोखिम की हेजिंग - जागरूकता पैदा करना

कृषि-पण्य मूल्य जोखिम का प्रबंध करने हेतु सुदृढ जोखिम प्रबंध क्षमताओं को विकसित करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया कि वे कृषि-पण्य डेरिवेटिवों के माध्यम से की जाने वाली हेजिंग की उपयोगिता और लाभों के प्रति कृषि-उधारकर्ताओं के बीच जागरूकता पैदा कर कृषि-उधारकर्ताओं को हेजिंग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। शुरुआत के तौर पर बैंक कृषि पण्य प्रोसेसरों, व्यापारियों, मिल मालिकों, ऐग्रिगेटरों आदि जैसे बड़े कृषि-उधारकर्ताओं को अपने पण्य-मूल्य जोखिम की हेजिंग करने हेतु प्रोत्साहित करें। ऐसी हेजिंग भारत में स्थित मान्यता-प्राप्त एक्सचेंजों में उपलब्ध कृषि-पण्य डेरिवेटिव उत्पादों के माध्यम से की जा सकती है (डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.96 /21.04.157/2014-15, दिनांक 28 मई 2015)।

प्रतिभूतीकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री

रिज़र्व बैंक ने सभी मीयादी ऋणदात्री और पुनर्वित्त संस्थाओं (एआईएफआई) को सूचित किया कि वे अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों की लेखा टिप्पणियों में अपेक्षित मौजूदा प्रकटीकरणों के अलावा प्रतिभूतीकरण कंपनियों/पुनिर्निर्माण कंपनियों को बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के संबंध में कतिपय प्रकटीकरण करें : एआईएफआई/बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई एनपीए के माध्यम से समर्थित प्रतिभूति रसीदों में निवेशों के बही मूल्य को अंतर्निहित के रूप में (डीबीआर.सं.एफआईडी.5/01.02.00/2014-15, दिनांक 11 जून 2015)।

दीर्घावधिक बॉण्डों की प्रतिधारिता

रिज़र्व बैंक ने समीक्षा के उपरांत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को बुनियादी संरचना और किफायती आवास के वित्तपोषण के लिए अन्य बैंकों द्वारा जारी किए गए दीर्घावधिक बॉण्डों में निवेश करने की अनुमति दी। अनुमत विनियामक छूटों की दोहरी गणना से बचने की दृष्टि से ऐसे निवेश विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होंगे (डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.98/08.12.014/2014-15, दिनांक 01 जून 2015)।

भारत के बासेल-।।। कार्यान्वयन का मूल्यांकन

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के तत्वावधान में अपने सदस्य क्षेत्राधिकारों के लिए विनियामक संगतता मूल्यांकन कार्यक्रम (आरसीएपी) के एक अंग के रूप में भारत के लिए बासेल जोखिम-आधारित पूंजी ढांचे और चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के कार्यान्वयन से संबंधित मूल्यांकन रिपोर्टें प्रकाशित की हैं।

इस मूल्यांकन में जोखिम-आधारित पूंजी अपेक्षाओं के संबंध में रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अपनाए गए मानकों की रेटिंग न्यूनतम बासेल पूंजी मानकों की दृष्टि से 'कम्प्लाइअन्ट' के रूप में की गई है। इस मूल्यांकन में बासेल पूंजी ढांचे में शामिल सभी 14 घटकों के संबंध में 'कम्प्लाइअन्ट' के रूप में आकलित किया गया है। चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) अपेक्षाओं के संबंध में न्यूनतम बासेल पूंजी मानकों की दृष्टि से 'लार्जली कम्प्लाइअन्ट' की रेटिंग दी गई है। एलसीआर ढांचे के दो घटकों, यथा एलसीआर मानक और एलसीआर प्रकटीकरण अपेक्षाएं, का मूल्यांकन बासेल मानकों की दृष्टि से क्रमशः 'लार्जली कम्प्लाइअन्ट' और 'कम्प्लाइअन्ट' के रूप में किया गया है। रिज़र्व बैंक का मानना है कि आरसीएपी रिपोर्टें बासेल मानकों के राष्ट्रीय अंगीकरण और कार्यान्वयन के बारे में पारदर्शिता लाती हैं और उनसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समान अवसर क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है।

डीईएएफ - फॉर्म I और III

रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और एलएबी/शहरी सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना 2014 के संबंध में रिज़र्व बैंक को विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए फॉर्म I और II को मिलाकर नए फॉर्म I और II के बारे में सूचित किया। अवधि, विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और अन्य अनुदेश वैसे ही रहेंगे जैसे मौजूदा फॉर्म II के लिए लागू हैं। (डीबीआर.सं.डीईएएफ कक्ष. बीसी.105/30.01.002/2014-15, दिनांक 18 जून 2015)

ऑनसाइट, ऑफसाइट तथा मोबाइल एटीएमों पर रिपोर्टिंग

समीक्षा करने के उपरांत, रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग और बैंकिंग विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता (महाराष्ट्र और गोवा में एटीएमों के संबंध में) को बंद कर दिया है। 1 जुलाई 2014 के मास्टर परिपत्र में निर्धारित प्रोफार्मा-IV के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए एटीएमों से संबंधित आंकड़ों की आवधिक सूचना देना आवश्यक नहीं है। तथापि, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग को निर्धारित प्रोफार्मा में दी जाने वाली एटीएमों से संबंधित रिपोर्टिंग आवश्यकता जारी रहेगी। यह नहीं समझा जाए कि ये अनुदेश बैंकों द्वारा एटीएम खोलने की पूर्व अनुमति, जिसके लिए सामान्य पूर्वानुमति नहीं दी गई हो, लेने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के महत्व को किसी भी तरह से कम कर देंगे। (डीबीआर.सं.बीएपीडी. बीसी.102/22.01.001/2014-15, दिनांक 11 जून 2015)

सरकार का बैंकर

6 वर्षीय और 13 वर्षीय ब्याज दर फ्यूचर्स के लिए अंतिम दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक ने 12 जून 2015 को भारत सरकार प्रतिभूतियों पर नकदी निपटान वाले 6 वर्षीय और 13 वर्षीय ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) शुरू करने के लिए अंतिम दिशानिर्देश जारी किए, इनकी अवशिष्ट परिपक्वता क्रमशः 4-8 वर्ष और 11-15 वर्ष होगी। रिज़र्व बैंक ने नकदी निपटान वाले मौजूदा 10 वर्षीय ब्याज दर फ्यूचर्स की अवशिष्ट परिपक्वता को भी 9-10 वर्षों से बढ़ाकर 8-11 वर्ष कर दिया है। इससे बाजार सहभागियों को विभिन्न अवधियों में अपने ब्याज दर जोखिम को हेज करने में अधिक विकल्प और लचीलापन मिलेगा।

6 वर्षीय, मौजूदा 10 वर्षीय और 13 वर्षीय नकदी निपटान वाले ब्याज दर फ्यूचर्स संविदाओं के निम्नानुसार दो विकल्प होंगे:

विकल्प क :

यह अंतर्निहित प्रतिभूति एक ऐसा कूपन होगा जिस पर ₹100 के अंकित मूल्य की भारत सरकार की प्रतिभूति होगी और इसकी अवशिष्ट परिपक्वता निम्नलिखित होगी :

6 वर्षीय नकदी निपटान वाले ब्याज दर फ्यूचर्स का लिए 4 से 8 वर्षों के बीच;

मौजूदा 10 वर्षीय नकदी निपटान वाले ब्याज दर फ्यूचर्स के लिए 8 से 11 वर्षों के बीच; और

13 वर्षीय नकदी निपटान वाले ब्याज दर फ्यूचर्स के लिए फ्यूचर्स संविदा के समाप्त होने पर 11 से 15 वर्ष।

विकल्प ख :

यह अंतर्निहित प्रतिभूति एक ऐसा कूपन होगा जिस पर ₹100 के अंकित मूल्य की भारत सरकार की नोशनल 10 वर्षीय प्रतिभूति होगी। प्रत्येक संविदा के लिए भारत सरकार प्रतिभूतियों का बास्केट होगा जिसकी अवशिष्ट परिपक्वता 6 वर्षीय नकदी निपटान वाले आईआरएफ के लिए 4 से 8 वर्ष के बीच होगी, मौजूदा 10 वर्षीय नकदी निपटान वाले आईआरएफ के लिए 8 से 11 वर्ष के बीच होगी और 13 वर्षीय नकदी निपटान वाले आईआरएफ के लिए फ्यूचर्स संविदा के समाप्त होने पर 11 से 15 वर्ष के बीच होगी और बास्केट में प्रत्येक प्रतिभूति को उचित भार दिया जाएगा।

नकदी निपटान वाले 6 वर्षीय, 10 वर्षीय और 13 वर्षीय ब्याज दर फ्यूचर्स संविदाओं की अन्य आवश्यकताएं निम्नानुसार होंगी:

विकल्प क :

- अंतर्निहित प्रतिभूति का निर्णय नियत आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ (फिम्डा) के परामर्श से स्टॉक बाजारों द्वारा किया जाएगा।
- संविदा का निपटान भारतीय रुपया में नकदी में किया जाएगा।
- तयशुदा लेनदेन प्रणाली-आर्डर मिलान (एनडीएस-ओएम) पर ट्रेडिंग के पिछले दो घंटों के दौरान के मूल्यों के आधार पर अंतर्निहित प्रतिभूति के मात्रा भारित औसत मूल्य की गणना कर अंतिम निपटान मूल्य निकाला जाएगा। यदि ट्रेडिंग के पिछले दो घंटों के दौरान अंतर्निहित प्रतिभूति में पांच से कम ट्रेड किए जाते हैं तो अंतिम निपटान के लिए फिम्डा मूल्य का उपयोग किया जाएगा।

दूसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2015-16

वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि :

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक कम करके 7.5 प्रतिशत से 7.25 प्रतिशत किया जाए;
- अनुसूचित बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को निवल मांग और मीयादी देयताओं के 4.0 प्रतिशत पर बरकरार रखा जाए;
- नीलामियों के माध्यम से एलएएफ रिपो दर पर बैंक-वार एनडीटीएल के 0.25 प्रतिशत पर ओवरनाइट रिपो तथा बैंकिंग प्रणाली के एनडीटीएल के 0.75 प्रतिशत तक 14-दिवसीय मीयादी रिपो के अंतर्गत चलनिधि उपलब्ध कराना जारी रखा जाए; तथा
- चलनिधि की निर्बाध उपलब्धता के लिए ओवरनाइट/सावधि दैनिक परिवर्तनीय दर रिपो और प्रतिवर्ती रिपो को जारी रखा जाए।

परिणामस्वरूप, एलएएफ के अंतर्गत प्रतिवर्ती रिपो दर 6.25 प्रतिशत पर समायोजित हो जाएगी तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 8.25 प्रतिशत रहेंगी।

तीसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 4 अगस्त 2015 को घोषित किया जाएगा।

विकल्प ख :

✓ अंतर्निहित प्रतिभूति में अर्धवार्षिक कंपाउंडिंग वाला कूपन होगा।

✓ बास्केट में प्रतिभूतियों को शामिल करने और नकदी बाजार में ट्रेडिंग की मात्रा, न्यूनतम बकाया आदि के लिए शेयर बाजार मानदंडों का प्रकटीकरण करेंगे।

✓ संविदा का निपटान भारतीय रुपया में नकदी में किया जाएगा।

अंतिम निपटान मूल्य औसत निपटान प्रतिफल पर आधारित होगा जो अंतर्निहित बास्केट में प्रतिभूतियों के प्रतिफल का मात्रा भारित औसत होगा। बास्केट में प्रत्येक प्रतिभूति के लिए प्रतिफल की गणना पराक्रमित लेनदेन प्रणाली-आदेश मिलान (एनडीएस-ओएम) प्रणाली में ट्रेडिंग के पिछले दो घंटों के आधार पर प्रतिभूति के भारित औसत प्रतिफल का निर्धारण कर की जाएगी। यदि ट्रेडिंग के पिछले दो घंटों के दौरान अंतर्निहित प्रतिभूति में पांच से कम ट्रेड किए जाते हैं तो बास्केट में अलग-अलग प्रतिभूतियों के प्रतिफल के निर्धारण के लिए फिम्डा मूल्य का उपयोग किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

10 वर्षीय भारत सरकार की प्रतिभूति पर नकदी निपटान वाले ब्याज दर फ्यूचर्स की शरुआत शेयर बाजारों में जनवरी 2014 में की गई थी और इसे प्रोत्साहक जवाब मिला है। बाजार सहभागियों को अपने ब्याज दर जोखिम को हेज करने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए वर्ष 2014-15 के छठे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में 5-7 वर्षीय और 13-15 वर्षीय भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर नकदी निपटान वाले ब्याज दर फ्यूचर्स की घोषणा की गई थी। नए 6 वर्षीय और 13 वर्षीय संविदाओं और मौजूदा 10 वर्षीय संविदा के लिए उत्पाद विशेषताओं को अंतिम रूप भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड तथा अन्य स्टेकधारकों के साथ परामर्श कर दिया गया। (अधिसूचना सं.एफएमआरडी.डीआईआरडी.09/ईडी (सीएस)-2015, दिनांक 12 जून 2015)

जीवन प्रमाण-पत्रों के लिए पेंशनभोगियों को पावती-सूचना

रिज़र्व बैंक ने 7 मई 2015 को सरकारी पेंशन भुगतान का कार्य करने वाले सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया कि वे भौतिक रूप में प्रस्तुत जीवन प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर पेंशनभोगियों को विधिवत हस्ताक्षरित पावती-सूचना जारी करें। बैंक प्रमाण-पत्र के प्राप्त होने पर इसे तुरंत अपने सीबीएस में प्रविष्ट करने और पेंशनभोगियों को एक सिस्टम जेनरेटिड रसीद जारी करने पर भी विचार कर सकते हैं। एजेंसी बैंक पेंशनभोगियों के बीच डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्रों के उपयोग को भी बढ़ावा दें जिससे शाखाओं में भौतिक उपस्थिति और पावती-सूचना जारी करने की जरूरत समाप्त हो जाएगी। भारत सरकार ने सितंबर 2014 से आधार कार्ड के आधार पर जीवन प्रमाण नामक डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र शुरूकरने के लिए एक योजना भी शुरू की है। (डीजीबीए.जीएडी सं.एच-5013/45.01.001/2014-15, दिनांक 7 मई 2015)

विदेशी मुद्रा प्रबंध

निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना - सीमा में वृद्धि और उसे युक्तिसंगत बनाना

रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा का लेनदेन करने वाले सभी बैंकों/सभी प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों (एएमसी)/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों (एफएफएमसी) को अनुमति दी है कि वे निवासी व्यक्तियों को किसी भी अनुमत चालू और पूंजी खाता लेनदेन या दोनों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 250,000 अमेरिकी डॉलर तक का विप्रेषण करने की अनुमति दे सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत पहले से ही कोई राशि विप्रेषित कर चुका है तो ऐसे व्यक्ति के लिए लागू सीमा को उस वित्त वर्ष के लिए पहले से विप्रेषित राशि तक वर्तमान 250,000 अमेरिकी डॉलर की राशि से घटा दिया जाएगा। एलआरएस के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के लिए अनुमेय पूंजी खाता लेनदेन में निम्नलिखित शामिल हैं:

i) विदेश में किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोलना;

ii) विदेश में संपत्ति खरीदना;

iii) विदेश में निवेश करना;

iv) विदेश में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाएं और संयुक्त उद्यम स्थापित करना;

v) ऋण देना जिसमें सगे-संबंधी अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को भारतीय रुपया में दिया गया ऋण शामिल है।

इसके अतिरिक्त, लेनदेनों को सहज बनाने के लिए निवासी व्यक्तियों के पास उपलब्ध चालू खाता लेनदेनों के लिए विनिमय/विप्रेषण के जारी करने हेतु सभी सुविधाओं (निजी/कारोबारी दौरों सहित) को अब 250,000 अमेरिकी डॉलर की समग्र सीमा के अंदर सम्मिलित किया जाएगा। तथापि, प्रवास, विदेश में चिकित्सा उपचार और अध्ययन के लिए होने वाले खर्चे के लिए व्यक्ति एलआरएस के तहत निर्धारित कुल सीमा के अतिरिक्त और राशि की विनिमय सुविधा का लाभ उठा सकते हैं यदि ऐसा क्रमशः प्रवास वाले देश, उपचार करने वाले चिकित्सा संस्थान या विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित हो। निवासी व्यक्तियों द्वारा अनिवासी भारतीय सगे-संबंधियों को भारतीय रुपया में दिया जाने वाला उपहार भी एलआरएस सीमा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

अब तक की पद्धति के अनुसार, इस योजना का मार्जिन ट्रेडिंग, लॉटरी आदि जैसी किसी प्रतिबंधित या गैर-कानूनी गतिविधि के लिए विप्रेषण करने हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता है।

विप्रेषण प्रक्रिया

निवासी भारतीयों को यह सुविधा देते हुए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी II और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों सहति प्राधिकृत व्यापारियों से अपेक्षित है कि वे निर्धारित शर्तों का पालन करें जिसमें ''अपने ग्राहक को जानें'' दिशानिर्देश और धन शोधन निवारण नियम शामिल हैं। प्राधिकृत व्यापारियों से अपेक्षित है कि वे आवेदकों की संख्या और एलआरएस के तहत ऑनलाइन विवरणी फाइलिंग प्रणाली (ओआरएफएस) के माध्यम से रिज़र्व बैंक को विप्रेषित कुल राशि पर मासिक आधार पर सूचना प्रस्तुत करें।

व्यष्टियों (Individuals) से भिन्न के लिए सुविधाएं

व्यष्टियों (Individuals) से भिन्न व्यक्ति (Persons) निर्धारित सीमा और शर्तों के अंदर निम्नलिखित के लिए विप्रेषण कर सकते हैं

i) शैक्षिक संस्थानों के लिए दान;

ii) भारत में निवासीय फ्लैट्स/वाणिज्यिक प्लॉटों की बिक्री के लिए विदेशों में एजेंटों को कमीशन;

iii) परामर्शदात्री सेवाओं के लिए विप्रेषण और

iv) निगमन पूर्व व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु विप्रेषण

ऐसे व्यक्ति इसके लिए संबंधित प्राधिकृत व्यापारी शाखा को एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करेंगे। (ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 106, दिनांक 1 जून 2015)

गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर अनिवासी भारतीयों द्वारा चिट-फंड अंशदान

रिज़र्व बैंक ने गैर-निवासी भारतीयों (एनआरआई) को निम्नलिखित शर्तों के अधीन सीमा के बिना गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर चिट फंडों में अभिदान करने की अनुमति दी है:

(i) चिट फंडों के पंजीयक या संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से चिट फंड अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी किसी भी चिट फंड को गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर अनिवासी भारतीयों से अभिदान स्वीकार करने की अनुमति दे सकता है।;

(ii) चिट फंडों के लिए अभिदान सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से किया जाए जिसमें भारत में किसी बैंक में खाता रख कर अभिदान करना भी शामिल है। (ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 107, दिनांक 11 जून 2015)

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित। **मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.rbi.org.in/MCIR पर भी उपलब्ध है।**